(c) whether Government would consider immediate doubling of such pensions for artists?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) No such communication has been received.

(b) Does not arise.

(c) Ms. Asghari Bai is getting a monthly pension of Rs. 1,500/- from the Central Government in addition to the monthly pension of Rs. 700/- she had been drawing from the Government of Madhya Pradesh. The State Government has intimated that her pension has been increased to Rs. 1,500/- per month with effect from 1st January, 1997 as a special case.

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदण्डों में छूट

2950. **श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभागीय पदोन्नति कोटे द्वारा भरे जाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की पात्रता केवल तभी बनती है जब या तो उनके पास शिक्षा-स्नातक की डिग्री हो अथवा उन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में 45 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों;

(ख) यदि हां, तो उन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के बावजूद पदोन्नत किया गया है; और

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति के उम्मीदवारों के लिये पात्रता मानदण्डों में छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक के पद हेतु अनिवार्य अर्हताएं द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (45 प्रतिशत अंक और उससे अधिक को यथा-समकक्ष माना गया है) और शिक्षण/शिक्षा में विश्वविद्यालय उपाधि/डिप्लोमा है। तथापि स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होती जिनके पास मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव है जिनमें से 03 वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के ग्रेड में होना चाहिए।

रैगिंग के कारण विद्यार्थियों की मृत्यु

2951. **श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न महाविद्यालयों में रैगिंग के मामलों में चालू वर्ष के दौरान कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हुई और उनका महाविद्यालय-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में रैगिंग को रोकने और विद्यार्थियों को यातना से बचाने के लिये क्या ठोस उपाय किय जा रहे हैं; और

(ग) दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) इस विषय पर सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के व्यवहार को निन्दीय और अनुपयुक्त मानती है। विश्वविद्यालयों और संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को इस अभिशाप पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं और जहां रैगिंग की आड़ में विशिष्ट अपराध होते हैं, वहां कानून में दण्ड के प्रावधन भी रखे गए हैं। विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को रैगिंग को गैर-कानूनी बनाने के लिए अपने आदेशों/विनियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है और इसमें भाग लेने वालों को "सामूहिक कदाचार" के रूप में अपराधी माने जाने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि अपराधियों को विश्वविद्यालयों से निकालने अथवा नाम काटने का दण्ड दिया जा सके।

Status of Nehru planetarium

2952. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Teen Murti House is a Government property; and